



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : bhilai-nagar-nigam@cg.gov.in

क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2026/1194
प्रति,

भिलाई, दिनांक 3/2/2026

1. श्री अमन अग्रवाल आ.श्री मनोज अग्रवाल
 2. श्रीमती अंजु अग्रवाल पति श्री मनोज अग्रवाल
- पता- नेहरू नगर (पूर्व), भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

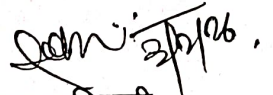
*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा ग्राम- कुरुद खसरा नं. 1418/22, 1418/23, 1418/24, 1418/1, 1418/2, 1418/3, 1418/6 रकबा 0.1100 हे., 0.0400 हे., 0.1100 हे., 0.1200 हे., 0.0074 हे., 0.0437 हे., 0.1063 हे. स्थल- सुन्दर विहार कॉलोनी, कुरुद, भिलाई में अवैध प्लॉटिंग कार्य करने के उद्देश्य से कच्चा मार्ग व प्लॉट मार्किंग का कार्य किया गया है जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने की अपनी मनसा को स्पष्ट करता है जो कि कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1998 संशोधन नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

सूचना जाने।

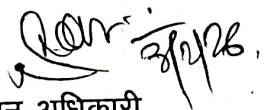

भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 3/2/2026

पृ.क्र./सात/दो/भ.अ./2026/1195

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप-पंजीयक जिला पंजीयन कार्यालय दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) को पंजीयन पर रोक लगाये जाने आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 01 नेहरू नगर, नगर पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
5. उप-अभियंता, भवन अनुज्ञा शाखा, नगर पालिक निगम भिलाई को उक्त स्थल/खसरा पर भवन अनुज्ञा नहीं दिये जाने हेतु सूचनार्थ।


भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई